

20.6.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/77

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सुर्या आदि बनाम खिराज आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 172 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
03.05.2024	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.06.2024 को पेश हो।	
10.6.2024	<p>कुलाए फसकन उपास्थत/PU माहक शयन कर शेवत है। पत्रावली प्रकटित गस्त 10/6/24 दिनांक 10.06.2024 न पेश हो</p>	
12.08.2024	<p>कुलाए फसकन उपास्थत/PU माहक शयन कर शेवत है। पत्रावली प्रकटित गस्त 12/8/24 दिनांक 12.08.2024 न पेश हो</p>	
18.10.2024	<p>संघ का कार्य स्वगन होने पर पत्रावली सुनवाई दिनांक 16/12/24 को पेश हो।</p>	
16.12.2024	<p>कुलाए फसकन उपास्थत/PU माहक शयन कर शेवत है। पत्रावली प्रकटित गस्त 16/12/24 दिनांक 13-02-2025 न पेश हो</p>	
13.2.2025	<p>कुलाए फसकन उपास्थत/PU माहक शयन कर शेवत है। पत्रावली प्रकटित गस्त 13/2/25 दिनांक 22.4.2025 न पेश हो</p>	
22.4.2025	<p>कुलाए फसकन उपास्थत/PU माहक शयन कर शेवत है। पत्रावली प्रकटित गस्त 22/4/25 दिनांक 20.6.2025 न पेश हो</p>	
20.6.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकी उपास्थत नही। वकील वकी व वकी स्वयं के गार-गार आवाज लगाई कि हाजिर नही बर वकी हासकपेदी व हासक हाजरी में जारी ज जिफा जाहा हो पत्रावली नस्य से कम की जाकर काउ तकीव तकरीर जाहा हाजिर दफतर हो।</p>	